

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे- I/1038

दिनांक: 03.10.2025

आदेश संख्या: 48 / 2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 की रिक्तियों पर विचार हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.09.2025 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पद के पे मेट्रिक्स लेवल L-12 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक संख्या	मेरिट क्रमांक / बैच वर्ष	कार्मिक का नाम सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री	प्रवर्ग	जन्मतिथि	पदोन्नति दिनांक
1	2	3	4	5	6	8
1	10930	30/2013	गजे सिंह		04.10.90	01.04.25
2	10872	76/2013	राजवीर		02.08.90	01.04.25
3	11405	150/2013	भीमाराम पटेल		05.09.93	01.04.25
4	9987	189/2013	वेद सिंह इन्दोलिया		01.07.89	01.04.25
5	11067	477/2013	चन्द्रशेखर		30.12.92	01.04.25
6	12675	564/2013	चन्दन गोयल		20.08.83	01.04.25
7	10567	611/2013	राम किशन यादव		08.07.94	01.04.25
8	11495	2056/2013	भुवनेश मालव (दिव्यांग श्रेणी 'स')	LD	05.09.84	09.09.25
9	11243	2425/2013	राहुल कुमार मीणा	ST	28.06.92	01.01.26

उक्त कार्मिकों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार पदोन्नति की तारीख से, उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह 03 पश्चात्कर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे 03 वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त में से सेवारत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड I में क्रमोन्नत/कमावन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(15)वित्त/राजस्व/2010 जयपुर, दिनांक 03.10.2025 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(अमिता शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक: 03.10.2025

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे- I/1038

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
4. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे स.ले.अ. ग्रेड-I पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, कार्यालय हाजा।
7. अलेसे-II/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।


(क.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)